रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032020-216575 CG-DL-E-06032020-216575

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2020/फाल्गुन 15, 1941

No. 882] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2020/PHALGUNA 15, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2020

आय-कर

का.आ. 986(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (viiकख) के उपखंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रतिभूतियां अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) विदेशी करेंसी अंकित मूल्य का बंधपत्र ;
- (ii) किसी पारस्परिक निधि की यूनिट;
- (iii) किसी व्यवसायिक न्यास की यूनिट;
- (iv) किसी कंपनी के विदेशी करेंसी अंकित मूल्य वाले साधारण शेयर;
- (v) वैकल्पिक विनिधान निधि की यूनिट,

जो, यथास्थिति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा

1283 GI/2020 (1)

बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सुचीबद्ध हैं।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "पारस्परिक निधि" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ।
- (ख) "वैकल्पिक विनिधान निधि" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में उसका है।
- 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 16/2020, फा. सं. 370142/22/2019-टीपीएल] गुडरुन नेहार, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2020

INCOME-TAX

- **S.O. 986(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (viiab) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following securities for the purposes of the said sub-clause, namely:-
 - (i) foreign currency denominated bond;
 - (ii) unit of a Mutual Fund;
 - (iii) unit of a business trust;
 - (iv) foreign currency denominated equity share of a company;
 - (v) unit of Alternative Investment Fund,

which are listed on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre in accordance with the regulations made by the Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India Act 1992 (15 of 1992) or the International Financial Services Centres Authority under the International Financial Services Centres Authority Act 2019 (50 of 2019), as the case may be.

Explanation. - For the purposes of this notification,—

- (a) "Mutual Fund" means a Mutual Fund specified under clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961.
- (b) "Alternative Investment Fund" shall have the meaning assigned to it in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
- 2. This notification shall come into force with effect from 1st April 2020.

[Notification No. 16/2020, F.No.370142/22/2019-TPL] GUDRUN NEHAR, Director (Tax Policy & Legislation)